पत्रांक- 6/अ-7-42/2002 1602 प्र/

झारखंड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा झारखंड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,

सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

राँची, दिनांक 9.7.07

विषय:- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विधालयों को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने सरस्वती शिशु विधा मंदिर, कुम्हार टोली, हजारीबाग को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित शर्त्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की है ।

शर्त्तें एवं नियम

1. विधालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जायेगा । विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 वर्ष के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण-~~xxxx~~ पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा ।

4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये ।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

7. विधालय का कार्य-कलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये । विधार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धन, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु

ात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उनके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या एवं योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी ।

10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर नये सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्शन प्रोग्राम तथा एन०सी०सी०, एन०एस०एस० स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्तों का xxxx पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का xx सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

13. उपर्युक्त शर्त्त या बन्धेजों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने का xx अधिकार होगा ।

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा समर्पित xxxxxx कागजातों एवं अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विधालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।

15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्तों एवं बन्धेजों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा 'नहीं' इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमीय अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद् विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बद्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा xxxxx शर्त्तों का उलघंन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

Ram Kumar Sd

निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची

ज्ञापांक—1602—/राँची, दिनांक -7.7.07,

प्रतिलिपि, क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, हजारीबाग/जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग एवं संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित ।

Ram Kumar Sd

निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची ।

क०प०030

ज्ञापांक 1602 / रांची, दिनांक - 9.7.04

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

Ram Kumar Sh

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।

9/7/04

फणीन्द्र नाथ
सचिव
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर
पारनाला कुम्हारटोली, हजारीबाग
पिन नं०-825301

Principal
Saraswati Shishu Vidya Mandir
Kumhar Toli, Hazaribag (Jh.)
CBSE, Aff. No.-3430188
School Code-66381